**भारत सरकार**
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्य सभा**
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1184
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

# केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों हेतु संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना

**1184. श्री बलवंत उर्फ बाल आपटेः**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन के अन्तर्गत लाभ मिल चुका है;

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उन कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनको इसका लाभ मिल चुका है;

(ग) विद्यालयों के प्रमुख स्तंभ शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को इसका लाभ नहीं दिए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकारें अध्यापकों सहित अपने कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन का लाभ दे चुकी हैं ?

## उत्तर
**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डा. डी. पुरंदेश्वरी)**

(क): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008–स्थापना (घ) के माध्यम से केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु समय–समय पर यथा संशोधित, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम आरम्भ की गई है।

(ख): केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में इस स्कीम को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या पूरे भारत में लगभग 11665 है।

(ग): कर्मचारियों हेतु संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम (एमएसीपी) को विस्तारित किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है कि–

(i) पूर्ववर्ती एसीपी स्कीम को उपर्युक्त स्वायत्त/सांविधिक निकाय में पहले भी कार्यान्वित/अपनाया गया था।

(ii) एमएसीपी स्कीम को, स्वीकार करने के प्रस्ताव को शासी निकाय/निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(iii) प्रशासनिक मंत्रालय/मंत्रालय के वित्त सलाहकार ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

(iv) संगठन/निकाय द्वारा एमएसीपी स्कीम को अपनाने के वित्तीय निहितार्थों का ध्यान रखा गया है तथा अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ को मौजूदा बजट आबंटन से पूरा किया जा सकता है।

प्राचार्य सहित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षण स्टाफ द्वारा वर्ष 1999 में पेश की गई पूर्व एसीपी स्कीम को स्वीकार नहीं किया गया था। अब इस स्कीम को शिक्षण स्टाफ तक विस्तारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(घ): छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसीपीएस सीधे तौर पर केवल केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए लागू है।

****